न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूँ

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम बेगूं

गोपी पुत्र नन्ना स्व. रामलाल बनाम दयाराम

करम मुकदमा प्रा. पत्र अ. धा. 212 RTA नं. 32/22 सन्

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.7.24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी गई थी। कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका. बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय हो चुका था प्रकरण मे पुनः माजिद बहस सुनी गई, प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा निमोदा प.ह. का इन्द्रा की आ. स. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 239 मी. कुल किता 9 कुल रकबा 4.6100 है. व आ. स. 241, 242, 243 व 244 मी. कुल किता 4 कुल रकबा 1.2800 है. भूमि प्रार्थी व विपक्षी गण की संयुक्त खातेदारी की है। मुझ प्रार्थी को सामाजिक रिती रिवाज एवं समाज के पंचो एव रिस्तेदारो की मौजुदगी मे गोदमाता लाली की गोद मे बिठाकर गोद पुत्र की रस्म सम्पन्न कर मुझ प्रार्थी को गोद पुत्र बना लिया मेरे गोद माता पिता की बहेसियत पुत्र की भांति सेवा करता आ रहा हूं तथा मेरे गोद माता पिता की समस्त चल अचल सम्पति जो ग्राम निमोदा प.ह. का इन्द्रा मे स्थित है जिस पर मे प्रार्थी उपयोग-उपभोग करता आ रहा हूं किन्तु मेरी गोद माता लाली बाई ने अपने पिहर पक्ष एवं रिस्तेदारो के बहकावे मे आकर छल कपट एव धोखे से हल्का पटवारी से मिली भगत कर दिनांक 25.4.16 को मेरे गोद पिता मृतक स्व. रामलाल जी और की समस्त कृषि आराजियात जो ग्राम निमोदा मे स्थित है का विरासत से नामान्तरण स. 244 मे लाली बाई ने अकेले अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा लिया जिसकी जानकारी मुझ प्रार्थी को नही होने दी तथा मुझ प्रार्थी की गोद माता ने कृषि भूमि को दिनांक 14.12.21	

तारिख हुक्म

द्वारा म. विपक्षी को अजनबी व्यक्ति विपक्षी स. 1 को विक्रय राशि 546387 स. 2 शंकरलाल गुर्जर को नगद मे बेचान कर दिया है। एवं क्रेता विपक्षी स. 1 व 2 ताकत के बल पर उक्त कृषि आराजियात पर जबरन कब्जा करने एवं मुझ प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। इस लिय विपक्षी गण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 की खाता स. 64 की आराजी स. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 मी. मे विपक्षी गण का हिस्सा 1/36 दर्ज अंकित है। एवं खाता स. 25 की आराजी स. 241, 242, 243 मी. 244 मी. मे विपक्षी गण का हिस्सा 1/12 दर्ज अंकित होकर सहखातेदार है। इन खातों का विधिवत बटवारा नही हुआ है। जिससे सभी सहखातेदारो का प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहखातेदारो का हिस्सा होता है। किसी एक खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धा. 212 R.T.A का खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.7.24 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)